पत्र संख्या–वन भूमि–16 / 2019–2020 व०प०

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं0–A-2,
श्यामली कॉलोनी, राँची–834002

राँची, दिनांक– 06/06/2019

विषय :– मेसर्स गेल (इण्डिया) लि0 के जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 113.4947 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–602 दिनांक–31.05.2019 से प्राप्त मूल प्रस्ताव (हार्ड कॉपी एवं ऑनलाईन) एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

प्रस्ताव में कुल–70.2829 हे0 अधिसूचित वन भूमि तथा 43.2118 हे0 गैर जमरूआ जंगल–झाड़ी भूमि सन्निहित है। जंगल–झाड़ी भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त के स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। किन्तु गुमला एवं खूँटी जिलान्तर्गत जंगल–झाड़ी भूमि के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के स्थान पर वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। गुमला एवं खूँटी जिलान्तर्गत जंगल–झाड़ी भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र की माँग की जा रही है, प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

विषयक प्रस्ताव के संबंध में CWLW, झारखण्ड, राँची का मंतव्य संलग्न नहीं है। प्रस्ताव में प्रतिवेदित है कि मंतव्य की मांग CWLW, झारखण्ड, राँची से की जा रही है, प्राप्त होने पर अलग से उपलब्ध कराया जायेगा। विषयक प्रस्ताव की महत्ता को देखते हुए प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अग्रसारित किया जा रहा है यदि CWLW के मंतव्य में किसी शर्त को अधिरोपित करने की अनुशंसा की जाती है, तो इसका अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(क) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुरूप प्रस्तावित वनभूमिके NPV का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(ग) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(घ) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के मंतव्य में यदि किसी शर्त को अधिरोपित करने की अनुशंसा की जाती है, तो इसका अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(ङ) प्रस्तावित परियोजना में कटने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम संभव रहेगी।

(च) अन्य मानक शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

6/6/19

(सुनील कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 113.4947 ha of forest land for Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra gas pipe line project in favour of M/S GAIL (India) Limited.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 113.4947 ha of forest land with conditions as stated in the forwarding letter no. 2020 dated 06/06/2019.

6/6/19

Signature :

Name & Designation : Sunil Kumar
(O.S.D)
Forest, Environment & Climate
Change Department

Officer on Special Duty
Forest, Environment & Climate
Change Department, Jharkhand

Date : ....

Place : Ranchi

(Official Seal)